


कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2023—2024

गांधी स्मारक / संजय गांधी स्मृति एवं सुपरस्पेशलिटी
चिकित्सालय में मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड,
नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर की आपूर्ति
हेतु ई-निविदा

(द्वितीय आमंत्रण)

[Handwritten Signature]

निविदा क्र- 21/2023-24

कीमत रु. 3000/-
(तीन हजार मात्र)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा क्र- 21 /2023-24

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	06-12-2023 11-00 AM	20-12-2023 05-00 PM
2	EID SUBMISSION ONLINE	06-12-2023 11-00 AM	20-12-2023 05-00 PM
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	21-12-2023 12-30 PM	
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	

ई-मेल:- jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104
संपर्क:- 07662-242104,+91-9179705483,+91-9074466110,

पोर्टल में अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 50000 /-(पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
4. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 (एसेसमेंट ईयर 21-22 एवं 22-23) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 20.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2021-22)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
9. जीवित ड्रग लाईसेंस की छायाप्रति (डीलर के लिये)
10. जीवित मेन्यूफ्रेक्चरिंग लाईसेंस की छायाप्रति(निर्माता के लिये)
11. डीलर को निर्माता कम्पनी द्वारा अद्यतन एथॉराइजेशन की प्रति, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन ड्राई-आक्साईड का स्पष्ट उल्लेख हो।
12. निर्माता कम्पनी को स्वयं के लिये विस्फोटक विभाग द्वारा जारी LICENCE TO FILL COMPRESSED GAS IN CYLINDERS AND LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN CYLINDERS की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

13. निविदाकार यदि ऑथराइज्ड डीलर है तो उसे भी अधिकृत निर्माता कम्पनी का LICENCE TO FILL COMPRESSED GAS IN CYLINDERS AND LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN CYLINDERS लाईसेंस लगाना अनिवार्य होगा।
- 14 भण्डारण क्षमता हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र को छायाप्राप्त

नियम एवं शर्तें

मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर की आपूर्ति

- गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति एवं सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर की आपूर्ति हेतु वर्ष 2023-24 के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
- आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म कर्य करने का मूल्य रु. 3000.00 (तीन हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
- निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 50000/- (पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। जिस निविदाकार की एल-1 दरें स्वीकृत होगी उससे परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में राशि रु. 100000/- डी.डी. के माध्यम से जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय हो अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा शासकीय एवं अशासकीय निर्माताओं/पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं की ही स्वीकृत की जावेगी।
- प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे।
- निविदाकार को ऑनलाईन कर्य किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाना चाहिए।
- निविदा के साथ मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर की उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रचलित अनुज्ञा पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा तथा निर्माता का प्रमाण पत्र देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य की जा सकेगी।
- डीलर द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने की दशा में उत्पादनकर्ता प्रतिष्ठान का अद्यतन ऑथराइजेशन लेटर संलग्न एवं उसी निर्माता कम्पनी की गैस प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकार होने पर मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर के खाली सिलेण्डर ले जाकर गैसों की रीफिलिंग उपरांत भरे हुये सिलेण्डर गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के भण्डार गृह तक 12 घंटे के भीतर पहुंचा कर देना होगा।
- आपात आवश्यकता की स्थिति में दूरभाष पर मांग बताई जावेगी जिसकी आपूर्ति अतिषीघ्र समयावधि में उसी दिवस में करना अनिवार्य होगा।

11. चिकित्सालय की निविदा समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
12. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
13. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि तक अथवा आगामी निविदा स्वीकृत किये जाने तक प्रभावशील रहेगी।
14. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की निविदा समिति के पास सुरक्षित है।
15. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा यदि आपूर्ति में हीला-हवाली या टाल-मटोल करके विलम्ब किया जाता है, तो आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार से खरीद की जावेगी। इसमें अधिक भुगतान की वसूली निविदाकार के देयको से वसूल कर लिया जावेगा। इसके बावजूद यदि अधिक भुगतान की वसूली शेष रह जाती है तो जमा राशि से काट लिया जावेगा।
16. भण्डारण क्षमता हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
17. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात किया जावेगा जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
18. मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाइआक्साइड एवं नाइट्रस आक्साइड मरीजों की जीवन रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। अतः बिना पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारणों के अचानक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न किये जाने वाले कृत्य को मरीजों का जीवन खतरे में डालना निरूपित किया जावेगा। इसके लिये अमानत राशि जप्त करने के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही करने का विकल्प अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
19. निविदाओं के संबंध में निविदा समिति का निर्णय सभी निविदाकारों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
20. चिकित्सालय के पास अपने मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, नाइट्रोजन एवं मेडिकल एअर के सिलिण्डर की संख्या सीमित है, आवश्यकता होने पर मांग अनुसार सफल निविदाकार को अपने स्वयं के सिलिण्डर में गैस प्रदाय करना अनिवार्य होगा। इसका कोई किराया पृथक से नहीं दिया जावेगा। निविदाकार को डी टाईप, बी टाईप एवं ए टाईप के कम से कम क्रमशः 100, 100 एवं 50 सिलिण्डर देने होंगे एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल के भण्डार कक्ष में भरे हुए सिलिण्डर क्रमशः 100, 100 एवं 50 हमेशा बने रहें। सिलिण्डर का कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा तथा चिकित्सालय परिसर में निविदाकार को भण्डारण कक्ष दिया जायेगा जिसका कोई भी किराया निविदाकार से नहीं लिया जावेगा। निविदाकार द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये गए सिलिण्डरों का संपूर्ण मरम्मत, बाल्व रिप्लेसमेंट एवं टेस्टिंग कार्य स्वयं के व्यय पर करना होगा। प्रबंधन पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन एवं नाइट्रस की स्टोरिंग चाहता है जिससे किसी आपदा विपदा की स्थिति में मांग की गई गैसों की किसी भी समय कोई भी कमी न हो तथा निरंतर आक्सीजन की सप्लाई वार्डों को तथा नाइट्रस की ओटी में बनी रहे।

21. मेडिकल गैसेस के लिए सफल निविदाकार द्वारा ही अस्पताल के सिलिण्डरों की टेस्टिंग/मरम्मत का कार्य निविदा में अनुमोदित न्यूनतम दर पर करने के लिए बाध्य होगा। न्यूनतम दर भले ही किसी अन्य निविदाकार की हो।
22. मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाइआक्साइड एवं नाइट्रस आक्साइड गैस मेडिकल ग्रेड की होना आवश्यक है।
23. आक्सीजन व नाइट्रस एवं अन्य गैसों की गुणवत्ता एवं भार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। सिलेण्डर में जो मेडिकल गैस दी जावेगी उसकी क्वालिटी मेडिकल ग्रेड की होनी चाहिए। गैसों की अमानक गुणवत्ता की प्रदायगी होने पर यदि किसी प्रकार से मरीजों को नुकसान पहुंचता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। गैस प्रदायगी चालान के साथ ऑक्सीजन गैस की गुणवत्ता एवं भार से संबंधित टेस्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
24. सफल निविदाकार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की क्षति, दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और न ही किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जावेगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
25. यदि निविदाकार द्वारा किसी कारण से आगे प्रदायगी बंद की जाती है तो प्रथम पक्ष को वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु कम से कम तीन माह की अग्रिम सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी।
26. भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग (**National Pharmaceutical pricing authority**) नई दिल्ली द्वारा मेडिकल आक्सीजन गैस, नाइट्रस आक्साइड गैस विक्रय की सीलिंग प्राइस (**Plus local taxes as applicable**) निर्धारित की गई है, को ध्यान में रखकर ही दर भरी जावे। सीलिंग प्राइस से अधिक दर वाली निविदा अमान्य की जावेगी।
27. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर मेडिकल गैसेस की प्रदायगी प्रारम्भ करनी होगी।
28. यदि भारत शासन द्वारा सीलिंग प्राइस में वृद्धि/कमी की जाती है तो निविदाकार मानने के लिए बाध्य होगा।
29. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायालय रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे। पृष्ठ क. दर्शाये		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
1.	धरोहर राशि रूपये 50000.00(पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 (एसेसमेंट ईयर 21-22 एवं 22-23) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र				
6.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 20.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2021-22)				
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
9.	जीवित ड्रग लाईसेंस की छायाप्रति (डीलर के लिये)				
10.	जीवित मेन्यूफ्रेक्चरिंग लाईसेंस की छायाप्रति(निर्माता के लिये)				
11.	डीलर को निर्माता कम्पनी द्वारा अद्यतन एथॉराइजेशन की प्रति, जिसमें मेडिकल आक्सीजन,कार्बनडाईआक्साइड,नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर का स्पष्ट उल्लेख हो।				
12.	निर्माता कम्पनी को स्वयं के लिये विस्फोटक विभाग द्वारा जारी LICENCE TO FILL COMPRESSED GAS IN CYLINDERS AND LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN CYLINDERS की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।				
13.	निविदाकार यदि ऑथराइज्ड डीलर है तो उसे भी अधिकृत निर्माता कम्पनी का LICENCE TO FILL COMPRESSED GAS IN CYLINDERS AND LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN CYLINDERS लाईसेंस लगाना अनिवार्य होगा।				
14.	भण्डारण क्षमता हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

—घोषणा—पत्र—

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी हैं, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे संस्था के उपर राज्य शासन/भारत शासन का कोई कर देने हेतु बकाया नहीं है। सप्लाई की गई मेडिकल गैसेस मांग अनुसार गुणवत्ता, भार एवं सिलिण्डर की गुणवत्ता की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर

1.

2.

दर पत्रक(केवल आनलाईन भरा जावे)

मेडिकल ऑक्सीजन, कार्बनडाईऑक्साईड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर की आपूर्ति हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन निविदा दरें प्रस्तुत हैं:-

वर्ग-1 मेडिकल ऑक्सीजन गैस आईपी- भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लागू सीलिंग प्राइस रु 28.83 प्रति क्यू मी+ नियमानुसार जी.एस.टी.

क्र .	विवरण	Refilling rate/Cu. Mtr	Loading/unloading/transportation rate / cu. mtr	Total rate/Cu. Mtr (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Medical oxygen gases IP			

वर्ग-2 नाईट्रस ऑक्साईड गैस आईपी- भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लागू सीलिंग प्राइस रु 285.95 प्रति क्यू मी+ नियमानुसार जी.एस.टी.

क्र .	विवरण	Refilling rate/Cu. Mtr	Loading/unloading/transportation rate / cu. mtr	Total rate/Cu. Mtr (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Nitrous oxide gases IP			

वर्ग-3 कार्बन डाईऑक्साईड गैस आईपी-

क्र .	विवरण	Refilling rate/Cu. Mtr	Loading/unloading/transportation rate / cu. mtr	Total rate/Cu. Mtr (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Carbon dioxide gases			

वर्ग-4 नाईट्रोजन गैस आईपी-

क्र .	विवरण	Refilling rate/Cu. Mtr	Loading/unloading/transportation rate / cu. mtr	Total rate/Cu. Mtr (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Nitrogen			

वर्ग-5- मेडिकल एअर-

क्र .	विवरण	Refilling rate/Cu. Mtr	Loading/unloading/transportation rate / cu. mtr	Total rate/Cu. Mtr (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Medical air			

वर्ग-5 टेस्टिंग एवं मरम्मत इत्यादि के चार्जस

क्र .	विवरण	दर प्रति सिलिण्डर	
		अंको में	शब्दों में
1.	Testing charges/cylinder (Quality & weight both)		
2.	Valve replacement/cylinder		
3.	Spindle replacement/cylinder		
4.	Cap replacement/cylinder		
5.	Chemical valve replacement/cylinder		
6.	Ring replacement/cylinder		
7.	Painting and numbering/cylinder		

नोट:-

1. जीएसटी दर का उल्लेख पृथक से किया जावे।
2. मेडिकल ऑक्सीजन, कार्बनडाईऑक्साईड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर की आपूर्ति के न्यूनतम दर के निविदाकार को ही सिलिण्डरों की टेस्टिंग एवं मरम्मत काय कार्य निविदा में स्वीकृत न्यूनतम दर पर ही दिया जावेगा, जिसके लिए निविदाकार बाध्य होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर, नाम पता एवं

संस्था की सील व मो नं